

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

प्राथमिक शालाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 441.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

माध्यमिक शालाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 5010.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 50,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

आश्रम शालाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 98.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

छात्रावासों के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 212.25 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,12,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

हाई स्कूल के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 697.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 6,97,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

उच्चतर माध्यमिक शाला के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि ` 2388.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 23,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

अशासकीय संस्थाओं को तदर्थ अनुदान हेतु राशि ` 275.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 2,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु राशि ` 121.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,21,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9 से 10

एकीकृत बाल संरक्षण योजना पर ` 352.64 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,52,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 11

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 308.67 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 3,08,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

भारत सरकार से नक्सल प्रभावित 08 जिलों हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना अंतर्गत राशि ` 200,00.00 लाख अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 200,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 13

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि 1238.13 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि 12,38,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।